संख्या-05/2020/550/94-स्टा0नि0-2-2020-700(04)/2020

प्रेषक,

विशेष सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2020**

विषय- ई-आक्शन के माध्यम से अचल संपत्तियों की नीलामी के फलस्वरूप निर्गत विक्रय प्रमाण पत्रों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-18 के अधीन स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के सम्बन्ध में |

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1138/शि०का०लख०/2020 दिनांक 15 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | इसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-46955/2013 मे० सन्त कृपा ट्रेडिंग कम्पनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस व अन्य बनाम बैंक ऑफ़ बड़ौदा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013 के आलोक में ऐसे प्रकरण जिनमें किसी सम्पत्ति का विक्रय ई-आक्शन के द्वारा किया जाता है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-18 में विहित अन्य शर्तें पूरी हो रही हों तो सम्बंधित विक्रय प्रमाण पत्र पर अनुच्छेद-18 के अधीन स्टाम्प शुल्क की देयता सुनिश्चित किया जाना विधिसम्मत है |

कृपया उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुपालन हेतु विभागीय अधिकारीयों को निर्देशित करने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।